मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2153

04 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

पथ विक्रेता

2153. डॉ. अमोल रामसिंहकोल्हे :

श्री सुनीलदत्तात्रेयतटकरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

डॉ. सुभाष रामरावभामरे :

डॉ. हिनाविजयकुमारगावीत :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में पथविक्रेताओं की कुल संख्या के बारे में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने पथविक्रेता(जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन)अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियमों का निर्माणऔर कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर लिया है औरयदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात्पथ विक्रेताओं को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में अभी भीपथ विक्रेताओं को स्थानीय एजेंसी के अधिकारियोंद्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध मेंराज्यों की सहायता हेतु कोई कार्यनीति बनाई है;और

(च) सरकार द्वारा देश में पथ विक्रेताओं केअधिकारों के संरक्षण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियम एवं स्कीमें बनाकर कार्यान्वित किया जाता है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शहर विक्रेता समिति, ऐसी अवधि के अंतर्गत और ऐसे तरीके, जो स्कीम में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, से अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अंदर सभी वर्तमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगीऔर तत्पश्चात् हर पांच वर्ष में कम-से-कम एक बार यह सर्वेक्षण किया जाएगा ।

(ख) और (ग): इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करना और पथ विक्रेता क्रियाकलापों एवं इनसे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों को विनियमित करना है । इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर, जिस पर इसे लागू नहीं किया गया है और मेघालय, जिसका अपना मेघालयपथ विक्रेता अधिनियम, 2014 है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है । अधिनियम के नियमों को 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिसूचित किया है । मेघालय ने मेघालयपथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों को अधिसूचित कर दिया है । इसके अतिरिक्त, तेलंगाना ने भी नियमों का मसौदा तैयार किया है ।

(घ), (.) और (च): इस अधिनियम में पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा उन पथ विक्रेताओं के उत्पीड़न के रोकथाम संबंधी प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है जोकि अपने विक्रेता प्रमाणपत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पथ विक्रेता क्रियाकलापों को जारी रखते हैं । इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पथ विक्रेताओं के निष्कासन व पुनर्स्थापन से संबंधित मुद्दों और पथ विक्रेताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'विवाद निवारण तंत्र' स्थापित करने सहित अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शिका जारी करता है ।

* * * * *